सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 31.10.2024

जमीनी /पारिवारिक विवाद के चलते युवक का अपहरण करने वाले 05 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से घटना मे प्रयुक्त स्कॉर्पियों कार की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.10.2024 को वादी सुरेशचन्द्र पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम अमृतपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर तहरीर दी गयी कि वादी का उसके भतीजे मनोज बाबू पुत्र रामप्रकाश के साथ विवाद चल रहा है। दिनांक 30.10.2024 की सुबह को जमीन के बटवारे को लेकर हमारा आपस में झगड़ा हो गया। जिसके पश्चात मनोज व उसका पुत्र निकित उर्फ निक्की अन्य साथियों के साथ मिलकर मेरे पुत्र विपिन कुमार के साथ मारपीट - गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये अपनी स्कार्पियो गाड़ी में जबरदस्ती डालकर ले गये। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा 02 टीमों का गठन कर संभावित स्थानो एवं सीसीटीवी कैमरो की चैकिंग करते हुए अपहृत विपिन कुमार को सकुशल बरामद किया गया । तहरीर के आधार पर थाना बसरेहर पर **मु0अ0सं0-102/24 धारा-191(2)/140(1)/115(2)/352/351(3)बीएनएस (147/364/323/504/506 भादवि) पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तार का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे दिनांक 31.10.2024 को थाना बसरेहर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत लोहिया पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान भदामई की तरफ से 01 स्कोर्पियो कार आती दिखायी दी। पुलिस टीम द्वारा उक्त कार को रुकने का इशारा किया तो कार सवार व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर **05 अभियुक्तगण निकित उर्फ निक्की पुत्र मनोज बाबू, मनोज बाबू पुत्र रामप्रकाश, हैप्पी ठाकुर पुत्र बीर सिंह, आजाद सिंह उर्फ राजा पुत्र नरेन्द्र यादव व उत्तम यादव पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव को घटना मे प्रयुक्त स्कॉर्पियों कार सहित लोहिया पुल से कुछ दूरी पर भदामई रोड के पास से समय करीब 11.55 बजे गिरफ्तार किया गया।**

घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो बताया कि कल दिनांक 30.10.2024 को हम लोग मिलकर ग्राम अमृतपुर के विपिन पुत्र सुरेशचन्द्र को जमीन के बटवारे को लेकर शराब के ठेके के पास अमृतपुर से जबरदस्ती उठाकर गाडी में डालकर ले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. निकित उर्फ निक्की पुत्र मनोज बाबू निवासी ग्राम अमृतपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र 22 वर्ष।**
2. मनोज बाबू पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम अमृतपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र 50 वर्ष।**
3. हैप्पी ठाकुर पुत्र बीर सिंह निवासी लक्ष्मण कॉलोनी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा **उम्र 20 वर्ष।**
4. आजाद सिंह उर्फ राजा पुत्र नरेन्द्र यादव निवासी इटगांव थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा **उम्र 20 वर्ष।**
5. उत्तम यादव पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी इटगांव थाना फ्रैंडस कॉलोनी जनपद इटावा **उम्र 22 वर्ष।**

बरामदगी-

1. 01 महिन्द्रा स्कॉर्पियो कार UP 75 U 7284 **(धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज)**

पंजीकृत अभियोगः-

1. **मु0अ0सं0 102/24 धारा 191(2)/140(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना बसरेहर जनपद इटावा।**

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त मनोज बाबू पुत्र रामप्रकाश

1. मु0अ0सं0 291/20 धारा 147/148/149/188/269/270/336/341/427 भादवि व 7 सीएलए अमेण्डमेण्ट एक्ट व 51/57 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 3 महामारी अधिनियम थाना बसरेहर जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 102/24 धारा 191(2)/140(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना बसरेहर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- थानाध्यक्ष श्री समित चौधरी थाना बसरेहर, उ0नि0 महेश कुमार, उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 अरुण कुमार तिवारी, का0 अनुप कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 उत्तम कुमार, का0 चा0 संजीत कुमार।